

रिपोर्ट नंबर 1558/2020/राजस्व  
 प्रशासनिक कार्य के तहत अधिनियम 2021  
 के अन्तर्गत में जारी की गई। इसके अनुसार शुद्ध पोस्ट के खाता सं. 93 में प्रार्थी का  
 नाम गोविन्द सिंह पि. मुलसिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थी के उत्तराधिकारी में कानूनी  
 नाम राजेन्द्र सिंह पि. मुलसिंह प्रवेश करे। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में  
गोविन्द सिंह के नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज किया जात्र उचित है।

*Nowel*  
 कोमल  
 सहायक  
 ग्राम पंचायत सचिव  
 उ. स. मण्डल, उदयपुरवाटी

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागाँडजी  
 I.L.R-337  
 दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

नूत ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को भिजित कर निवेदन है कि आदेशन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक  
 का नाम शुद्ध किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम शुद्ध किया जाने की अनिच्छा की जाती है।  
प्रार्थी द्वारा चाहा गया कानूनी धारा 136 के तहत उत्तराधिकारी  
नहीं है कतः प्रार्थी निर्धारित धाराओं में (88) में कानूनी  
उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं है।

1558/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी (राज.)  
 उदयपुरवाटी (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुंडुतू (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के खाता शुद्ध प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0330)  
 उदयपुरवाटी/गुढागाँडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0330) उदयपुरवाटी/गुढागाँडजी को राजस्व  
 रिकार्ड में अनन्त दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01.	पौख	2015-78	93	गोविन्दसिंह पिता उल सिंह	राजेन्द्र सिंह पि. मुलसिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
 पालना की जावे।

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 23.11.2021

क्रमांक - राजस्व/2020/1560-1561  
 तेलिपि -

1. तहसीलदार (मू0330) उदयपुरवाटी/गुढागाँडजी को वारसे मालगार्थी।
2. प्रार्थी/प्राथीया ..... को सूचनाार्थ।

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

